-:निर्णय:-

दिनांक :- 15.09.2025

प्रार्थिया ने प्रार्थना पत्र जरिये विज्ञ अधिवक्ता श्री खुशप्रीत सिंह संधू अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955, इस आशय का पेश किया व याचित किया कि प्रार्थी एवं अप्रार्थीगण का पंजीबद्ध एवं प्रमाणित पता व्यवहार प्रक्रिया संहिता के आज्ञापक प्रावधानो के अनुसार वही है जो शीर्षक प्रार्थना पत्र में निवेदित किया गया है।

यह कि चक 22 एम.जे.डी., तहसील हनुमानगढ़ के खाता सख्या 107/42 खाता गुरदीप सिंह आदि, जमाबन्दी सम्वत 2075-2078 में निम्न भूमि अंकित है- प.न. 91/196 मु.न. 59 कि.न. 16/.253 प.न. 92/196 मु.न. 58 कि.न. 13/2/.126, 14/.253, 16/1/.215, 16/2/.038, 21, 22, 23/.253 हैक्टेयर प्रत्येक, 24/2/. 068, 25/1/. 215, 25/2/.038 प.न. 92/197 मु.न. 65 कि.न. 4/1/.165, 4/2/.025, 6/1/.215, 6/2/.038, 7/.253 महाकुल 2.661 हैक्टेयर।

उक्त खाता में प्रार्थी के नाम 64/887 हिस्सा, अप्रार्थी सख्या 1 के नाम 253/5322 हिस्सा, अप्रार्थी सख्या 2 के नाम 758/2661 हिस्सा, अप्रार्थी सख्या 3 के नाम 76/887 हिस्सा, अप्रार्थी सख्या 4 के नाम 267/887 हिस्सा. अप्रार्थी सख्या 5 के नाम 253/5322 हिस्सा, अप्रार्थी सख्या 7 के नाम 16/2661 हिस्सा, अप्रार्थी सख्या 8 के नाम 413/2661 हिस्सा दर्ज राजस्व रिकार्ड है।

यह कि प्रार्थना पत्र की मद सख्या 2 में दर्ज आराजी प्रार्थी व अप्रार्थीगण के नाम सांझे खाते में चली आ रही है परन्तु अर्सा दराज पूर्व प्रार्थी के पूर्वजो द्वारा उक्त आराजी का घराघरू बंटवारा किया हुआ है तथा घरा घरू बंटवारा में अर्सा दराज पूर्व से प्रार्थी व तरतीबी अप्रार्थी संख्या 7 व 8 के पूर्वजो के आधिपत्य व धारण में तथा वर्तमान में प्रार्थी व तरतीबी अप्रार्थी संख्या 7 व 8 के आधिपत्य व धारण में निम्न आराजी चली आ रही है-

(क) हिस्सा प्रार्थी (.206 हैक्टेयर), अप्रार्थी सख्या 7 सुखजीत कौर (.016 हैक्टेयर) व अप्रार्थी संख्या 8 गुरवीर कौर (.441 हैक्टेयर) -

चक 22 एम.जे.डी., तहसील हनुमानगढ़ के खाता सख्या 107/42 खाता गुरदीप सिंह आदि, जमाबन्दी सम्वत 2075-2078-

प.न. 92/196 मु.न. 58 कि.न. 24/2/.068, 25/1/.215 कुल .283 है0 प.न. 92/197 मु.न. 65 कि.न. 4/1/.165, 4/2/.025, 7/.190 कुल .380 है. महाकुल .663 हैक्टेयर।

(ख) हिस्सा अप्रार्थी सख्या 1 ता 5-

चक 22 एम.जे.डी., तहसील हनुमानगढ़ के खाता सख्या 107/42, खाता गुरदीप सिंह आदि, जमाबन्दी सम्वत 2075-2078-

प.न. 91/196 मु.न. 59 कि.न. 16/.253 प.न. 92/196 मु.न. 58 कि.न. 13/2/.126, 14/.253, 16/1/.215, 16/2/.038, 21, 22, 23/.253 हैक्टेयर प्रत्येक, 25/2/.038 प. न. 92/197 मु.न. 65 कि.न. 6/1/.215, 6/2/.038, 7/.063 महाकुल 1.998 हैक्टेयर।

यह कि प्रार्थी व तरतीबी अप्रार्थी सख्या 7 व 8 के आधिपत्य व धारण की आराजी पूर्व में ऊची नीची व कम उपजाऊ व मन्दी किस्म की आराजी थी तथा इसी कारण इन्हे 042 हैक्टेयर आराजी उनके नाम दर्ज राजस्व रिकार्ड में दर्ज हिस्से से ज्यादा दी गई थी क्योकि घराघरू बंटवारा करते समय भूमि की उपजाऊ शक्ति व किस्म व अच्छी मन्दी भूमि को म/य नजर रखते हुए बंटवारा किया गया था, तब से लेकर आजतक प्रार्थी व तरतीबी अप्रार्थी सख्या 7 व 8 के आधिपत्य व धारण में .663 हैक्टेयर आराजी चली आ रही है परन्तु राजस्व रिकार्ड में उनके नाम .621 हैक्टेयर आराजी ही दर्ज है तथा इसी अनुसार प्रार्थी .014 हैक्टेयर व तरतीबी अप्रार्थी सख्या 8-.028 हैक्टेयर आराजी की घोषणा अपने नाम करवाकर प्रार्थना पत्र की मद सख्या 3 में दर्ज आराजी का खाता विभाजन करवाकर खाता अलग कायम करवाने का अधिकारी है।

यह कि अप्रार्थी सख्या 1 ता 5 के आधिपत्य व धारण में राजस्व रिकार्ड में दर्ज आराजी से .042 हैक्टेयर आराजी कम चली आ रही है तथा अप्रार्थी सख्या 1 ता 5 का नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज होने के कारण अप्रार्थी सख्या 1 ता 5 के मन में लालच आ जाने के कारण अप्रार्थी सख्या 1 ता 5 प्रार्थी व अप्रार्थी सख्या 7 व 8 के आधिपत्य व धारण की आराजी को प्रार्थी व अप्रार्थी सख्या 7 व 8 को नुकसान पहुंचाने की नियत से औने पौने दामो में अजनबी व्यक्ति को बेचान करने, रहन वैय आदि द्वारा अन्तरित करने पर प्रयासरत है, अगर अप्रार्थी सख्या 1 ता 5 उक्त मकसद में कामयाब हो जाते है तो प्रार्थी को ना पूरा होने वाला नुकसान होगा तथा मुकदमेंबाजी बढेगी तथा अप्रार्थी सख्या 1 ता 5 द्वारा हस्तान्तरित की गई भूमि के व्यक्तियों द्वारा प्रार्थी के आधिपत्य व धारण की आराजी में दखलअन्दाजी करेगे। प्रथम

दृष्ट्या मामला, सुविधा का संतुलन एंव अपूर्णीय क्षति के बिन्दू प्रार्थी के पक्ष में है इसलिए प्रार्थी, अप्रार्थी संख्या 1 ता 5 के विरूद्ध इस अमर की अस्थाई निषेधाज्ञा ताफैसला वाद प्राप्त करने का अधिकारी है कि अप्रार्थी सख्या 1 ता 5, चक 22 एम. जे.डी., तहसील हनुमानगढ के खाता सख्या 107/42, खाता गुरदीप सिंह आदि, जमाबन्दी सम्वत 2075-2078 में दर्ज 2.661 हैक्टेयर आराजी को अन्यत्र बैय, गिफ्ट आदि द्वारा अन्तरित करने से निषेद्ध रहे तथा वादग्रस्त आराजी बाबत रिकार्ड व मौके की यथास्थिति बनाये रखे। प्रथम दृष्ट्या मामला, सुविधा का संतुलन व अपूर्णीय क्षति के बिन्दू प्रार्थी के पक्ष में है।

अतः प्रार्थना पत्र मय शपथ पत्र प्रस्तुत कर निवेदन है कि अस्थाई निषेधाज्ञा विरूद्ध अप्रार्थी संख्या 1 ता 5 ताफैसला वाद इस आशय की जारी की जावे कि अप्रार्थी सख्या 1 ता 5, चक 22 एम.जे.डी., तहसील हनुमानगढ के खाता सख्या 107/42, खाता गुरदीप सिंह आदि, जमाबन्दी सम्वत 2075-2078 में दर्ज 2.661 हैक्टेयर आराजी को अन्यत्र बैय, गिफ्ट आदि द्वारा अन्तरित करने से निषेद्ध रहे तथा वादग्रस्त आराजी बाबत रिकार्ड व मौके की यथास्थिति बनाये रखे।

≈ प्रार्थना-पत्र प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर किया गया तलबी अप्रार्थीगण जारी की गई **अप्रार्थी सं 4 की ओर से अधिवक्ता राजेशदीप राय** ने वकालतनामा व अप्रार्थीगण की ओर से जवाब प्रार्थना पत्र पेश किया कि प्रार्थना पत्र की चरण संख्या 1 में प्रार्थी ने सिविल प्रक्रिया संहिता के आज्ञापक प्रावधानों के अनुसार पंजीबद्ध पता प्रस्तुत नहीं किया है इस कारण स्थगन प्रार्थना पत्र खारिज होने योग्य है।

प्रार्थना पत्र की चरण संख्या 2 में वर्णित जमीन का विवरण रिकार्ड से सम्बंधित है।

प्रार्थना पत्र की चरण संख्या 3 में वर्णित तथ्य जिस कदर बयान किये हैं अस्वीकार है। प्रार्थी का यह कथन कतई गलत व मिथ्या होने से अस्वीकार है कि प्रार्थी व अप्रार्थीगण के नाम सांझे खाते में चली आ रही भूमि का अर्सा दराज पूर्व प्रार्थी के पूर्वजों द्वारा घराघरू बंटवारा किया हो। प्रार्थी के उक्त कथन न केवल मिथ्या हैं बल्कि विशिष्ट तात्विकों का अभाव लिये हुए है। प्रार्थी ने यह स्पष्ट नहीं किया कि प्रार्थी के किन पूर्वजों ने कौनसे वर्ष में किस भूमि का घराघरू बंटवारा किया। वस्तुतः पूर्व में चक 22 एमजेडी की कुल 4.807 हैक्टेयर कृषि भूमि थी तथा इस भूमि में से खातेदार बाबू सिंह आदि ने राजस्व वाद संख्या 365/2020 बअनवानी बाबूसिंह बनाम बलजिन्द्र सिंह प्रस्तुत कर खाता विभाजन का अनुतोष चाहा। जिसमें प्रार्थी व अनार्थी संख्या 7 व 8 पक्षकार थे जिन्होनें अपना इकबालदावा प्रस्तुत किया था। यदि अभिकथित ऐसा कोई बंटवारा हुआ होता तो राजस्व वाद संख्या 365/2020 में वाद पत्र अथवा इकबालदावा में इसका उल्लेख होता। वर्तमान राजस्व अभिलेख में दर्ज भूमि को प्रार्थी व अप्रार्थी संख्या 7 व 8 ने सदैव स्वीकार व अंगीकार किया है। प्रार्थी का यह कथन कतई गलत व मिथ्या होने से अस्वीकार है कि घराघरू बंटवारा में अर्सा दराज पूर्व से प्रार्थी व तरतीबी अप्राथी संख्या 7 व 8 के आधिपत्य व धारण में तथा वर्तमान में प्रार्थी व तरतीबी अप्रार्थी संख्या 7 व 8 के आधिपत्य व धारण में उपधारा-क में वर्णित कृषि भूमि चली आ रही हो।

क) उपधारा (क) में वर्णित तथ्य अस्वीकार है। प्रार्थी का मात्र .192 हैक्टेयर भूमि का ही हक व हिस्सा है व अप्रार्थी संख्या 7 सुखजीत कौर का मात्र .016 हैक्टेयर व अप्रार्थी संख्या 8 कुलदीप कौर का मात्र .413 हैक्टेयर का ही हक व हिस्सा है। प्रार्थी का यह कथन कतई गलत व मिथ्या होने से अस्वीकार है कि पत्थर नम्बर 92/197 के किला नम्बर 7 में .190 हैक्टेयर भूमि पर प्रार्थी का कब्जा हो। वस्तुतः किला नम्बर 7 में .127 हैक्टेयर भूमि पर कब्जा अप्रार्थीया संख्या 4 का है।

ख- उपधारा ख में वर्णित तथ्य अस्वीकार है। प्रार्थी ने अपने प्रार्थना पत्र में यह स्पष्ट नहीं किया कि अप्रार्थी संख्या 1 ता 5 को कौन कौन से पत्थर नम्बर की कितनी भूमि प्राप्त हुई। वस्तुतः पत्थर नम्बर 92/197 के किला नम्बर 7 का प्रार्थी मिथ्या विवाद कर रहा है। पत्थर नम्बर 92/197 के किला नम्बर 7 में अप्रार्थी संख्या 4 का कब्जा .127 हैक्टेयर भूमि पर है।

प्रार्थना पत्र की चरण संख्या 4 में वर्णित तथ्य अस्वीकार है। प्रार्थी का यह कथन कतई गलत व मिथ्या होने से अस्वीकार है कि प्रार्थी व तरतीबी अप्रार्थी संख्या 7 व 8 के आधिपत्य व धारण में पूर्व में उंची नीची व कम उपजाउ व मंदी किस्म की आराजी हो। प्रार्थी का यह कथन कतई गलत व मिथ्या होने से अस्वीकार है कि इसी कारण उन्हें 1.042 हैक्टयर आराजी उनके नाम दर्ज आराजी में हिस्से से ज्यादा आराजी दी गई हो। प्रार्थी का यह कथन कतई गलत व मिथ्या होने से अस्वीकार है कि अभिकथित घराघरू बंटवारा में भूमि उपजाऊ व कृषि भूमि की किस्म को देखते हुए अभिकथित बंटवारा हुआ हो। वस्तुतः प्रार्थी द्वारा अभिकथित बंटवारा कभी नहीं हुआ। यदि पूर्व में ऐसा कोई बंटवारा होता तो प्रार्थी राजस्व वाद संख्या 365/2020 बअनवानी बाबू सिंह बनाम बलजिन्द्र सिंह आदि में अपने जवाबदावा में स्पष्ट कथन करता। प्रार्थी का यह कथन कतई गलत व मिथ्या होने से अस्वीकार है कि प्रार्थी व अप्रार्थी संख्या 7 व 8 के आधिपत्य व धारण में .663 हैक्टेयर आराजी चली आ रही हो। प्रार्थी का यह कथन कतई गलत व मिथ्या होने से अस्वीकार है कि प्रार्थी .014 हेक्टेयर व अप्रार्थी संख्या-8, .028 हैक्टेयर भूमि की घोषणा अपने नाम करवाकर खाता विभाजन करवाने के अधिकारी हो।

प्रार्थना पत्र की चरण संख्या 5 में वर्णित तथ्य अस्वीकार है। प्रार्थी का यह कथन कतई गलत व मिथ्या होने से अस्वीकार है कि अप्रार्थी संख्या 1 ता 5 के आधिपत्य व धारण में राजस्व रिकार्ड में दर्ज आराजी से .042 हैक्टेयर आराजी कम चली आ रही हो। अप्रार्थी संख्या 1 ता 5 का नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज होने के कारण अप्रार्थी संख्या 1 ता 5 के मन में लालच आ जाने के कारण अप्रार्थी संख्या 1 ता 5 प्रार्थी व अप्रार्थी संख्या 7 व 8 के आधिपत्य व धारण की आराजी को नुकसान पहुंचाने की नीयत से औने पौने दामों में अजनबी व्यक्तियों को बेचान करने, रहन बैय व अन्तरित करने के लिये प्रयासरत हो। वस्तुतः प्रार्थी का उसके नाम दर्ज .192 हैक्टेयर भूमि का ही हक व अधिकार है। अप्रार्थी संख्या 4 को अपने हक व हिस्सा की कृषि भूमि का हर प्रकार से उपयोग व उपभोग करने का अधिकार प्राप्त है। प्रार्थी को कोई अपूर्णीय क्षति नहीं है। प्रथम दृष्टया मामला व सुविधा का संतुलन व अपूर्णीय क्षति के बिन्दु प्रार्थी के पक्ष में कतई साबित नहीं है। प्रार्थना पत्र प्रार्थी मय खर्चा खारिज किये जाने योग्य है।

अतिरिक्त कथन

यह कि प्रार्थी स्वच्छ हाथों से माननीय न्यायालय के समक्ष नहीं आया है व उसने महत्वपूर्ण तथ्यों को माननीय न्यायालय से छुपाया है। प्रार्थी कोई भी अनुतोष प्राप्त करने का अधिकारी नहीं है।

यह कि अप्रार्थी संख्या 4 की दत्तक पुत्री सुखजीत कौर ने अप्रार्थी संख्या 4 के नाम चक 22 एमएमके की 1.519 हैक्टेयर व चक 22 एमजेडी के खाता संख्या 56/42 की .801 हैक्टेयर जो कि उक्त प्रार्थना पत्र की चरण संख्या 2 में अप्रार्थी संख्या 4 के नाम दर्ज है, के सम्बंध में माननीय न्यायालय के समक्ष बअनवानी सुखजीत कौर बनाम सुखदेव कौर राजस्व वाद संख्या 104/2020 प्रस्तुत किया जिसमें माननीय न्यायालय ने दिनांक 10.09.2020 को अप्रार्थी संख्या 4 के नाम दर्ज .801 हैक्टेयर भूमि में से 0.548 हैक्टेयर भूमि

का खातेदार घोषित किया जिसके विरुद्ध आत्मा सिंह ने माननीय राजस्व अपील अधिकारी, हनुमानगढ़ के समक्ष अपील संख्या 44/2021 बअनवानी आत्मा सिंह बनाम सुखजीत कौर आदि प्रस्तुत की जो दिनांक 30.05.2022 को खारिज हो चुकी है। प्रार्थी को इन सब तथ्यों का शुरू से ही ज्ञान है, लेकिन प्रार्थी ने तथ्यों को छुपाते हुए वाद पत्र व स्थगन प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया है।

यह कि उक्त प्रकरण में सुखजीत कौर दत्तक पुत्री सुखदेव कौर जाति जटसिख निवासी मानुका आवश्यक पक्षकार है जिसके अभाव में स्थगन प्रार्थना पत्र काबिले खारिजी है।

यह कि प्रार्थी ने पूर्ववर्ती वाद पत्र बअनवानी बाबू सिंह आदि बनाम बलजिन्द्र सिंह आदि राजस्व वाद संख्या 365/2020 में प्रस्तुत इकबालदावा में किये गये कथनों के विरुद्ध कथन करने से विबंधित हैं।

यह कि कानूनन एक सह खातेदार दूसरे सह खातेदार के विरुद्ध कोई भी निषेधाज्ञा प्राप्त करने का अधिकारी नहीं है।

अतः जवाब प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन है कि प्रार्थना पत्र प्रार्थी विशेष हर्जाना सहित खारिज फरमाया जावे।

हमने बहस उभय पक्ष प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 सुनी। पत्रावली में मौजूद प्रार्थना पत्र, जवाब प्रार्थना पत्र, जमाबंदी, पंजीबद्ध दस्तावेजों का अवलोकन किया गया। बहस उभयपक्ष पर मनन किया गया।

हम प्रकरण को अस्थाई निषेधाज्ञा के आवश्यक एवं सारभूत निम्नलिखित तीन बिन्दुओं को दृष्टिगत रखते हुए, विवेचन के आधार पर प्रकरण को निर्णित करना आवश्यक व सारभूत समझते है:-

**प्रथम दृष्ट्या मामला**

प्रथम दृष्ट्या मामला से तात्पर्य है कि वादपत्र और उसके साथ प्रस्तुत दस्तावेजों के अवलोकन मात्र से यह विश्वाश करने का पर्याप्त कारण हो कि वादग्रस्त आराजी में वादी को अनुतोष प्राप्त करने का पर्याप्त आधार प्राप्त है तथा प्रार्थी को प्रथम दृष्ट्या आराजी के उपयोग का अधिकार प्राप्त हो। इसका अर्थ यह नहीं है कि मामला पूर्णतया सिद्ध कर दिया जाये क्योंकि यह साक्ष्य का विषय है।

वादी द्वारा इन कथनो के साथ वाद पत्र मय प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया कि प्रार्थी व तरतीबी अप्रार्थी सख्या 7, 8 के आधिपत्य व धारण में राजस्व रिकार्ड में उनके नाम दर्ज आराजी से 0.042 हैक्टेयर आराजी ज्यादा चली आ रही है क्योकि इन्हे ऊंची नीची, कम उपजाऊ व मन्दी किस्म की आराजी विभाजन मे दी गई है। इस प्रकार प्रार्थी का वाद पत्र खाता विभाजन के साथ साथ घोषणा का भी है तथा घोषणा बाबत निर्णय साक्ष्य उभय पक्ष आने उपरान्त ही किया जा सकेगा। इन परिस्थितियों में प्रार्थी प्रथम दृष्ट्या मामला साबित करने में सफल रहा है तथा प्रथम दृष्ट्या मामला बाबत बिन्दू प्रार्थी के पक्ष में निर्णित किया जाना न्यायोचित है। यह भी है कि स्थगन ता-फैसला निर्णित किये जाने से उभयपक्षों के मध्य वाद बाहुलता की रोकथाम में सहायक सिद्ध हो सकेगा। अतः न्यायालय के विनम्र अभिमत में प्रथम दृष्ट्या मामला प्रार्थी के पक्ष में साबित होता है।

**सुविधा का संतुलन**

सुविधा के संतुलन से तात्पर्य है कि यदि व्यादेश जारी नहीं किया जाता है तो अधिकतम असुविधा प्रार्थी को होगी या प्रतिपक्षीगण को।

प्रार्थना पत्र और जवाब प्रार्थना पत्र के अवलोकन से स्पष्ट है कि उभयपक्ष अभिलिखित काश्तकार है अगर अप्रार्थीगण अपने नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज आराजी को अन्तरित करते है



उपखण्ड अधिकारी